



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(बी-4 कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016)

एफ.1(12)/ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्र./2025-26/1348

दिनांक : 17.11.2025

४५

कार्यालय आदेश

संविधान दिवस का आयोजन दिनांक 26.11.2025 को विश्वविद्यालय किया जायेगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं के लिए संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जायेगा। छात्र-छात्राओं के लिए "संविधान का महत्व" विषय पर बहु-प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार उक्त कार्यक्रम के कुशल सञ्चालन हेतु निर्णायक के रूप में निम्नलिखित विद्ववानों को नामित किया गया है :-

दिनांक एवं समय	क्रियाकलाप	निर्णायक मंडल के सदस्य	स्थान
मध्याह्न 12:00 बजे 26.11.2024	संविधान की प्रस्तावना का वाचन (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं हेतु)	कुलपति महोदय की अध्यक्षता में	योग सभागार
अपराह्न 12:30 बजे 26.11.2024	- निबंध लेखन - भाषण प्रतियोगिता (छात्र-छात्राओं हेतु)	प्रो० मार्कंडेय नाथ तिवारी डॉ० विचारी लाल मीणा डॉ० हरिप्रसाद मीणा	समिति कक्ष संख्या 03 शैक्षणिक सदन

उपर्युक्त के सन्दर्भ में समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रो० मार्कंडेय नाथ तिवारी, छात्र-कल्याण पीठ प्रमुख (समन्वयक) के निर्देशन में डॉ० हरिप्रसाद मीणा (सह-समन्वयक) एवं डॉ० विचारी लाल मीणा द्वारा किया जायेगा है।

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

प्रतिलिपि:

- (1) समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
- (2) कुलानुशासक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी/ जन संपर्क अधिकारी
- (3) उपकुलसचिव (लेखा/ परीक्षा)
- (4) अधिशासी अभियन्ता उपर्युक्त कार्यक्रम के सुचारु रूप से सञ्चालन हेतु कार्यक्रम स्थल पर बिजली उपकरण एवं माइक आदि की व्यवस्था हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें।
- (5) संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कार्यालय आदेश को whatsapp/ sms के माध्यम से समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भेजने तथा कार्यक्रम स्थल पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि की उचित व्यवस्था हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें।
- (6) निजी सचिव - कुलपति/ कुलसचिव/ वित्ताधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक
- (7) समस्त सूचना पट्ट छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ।
- (8) संबंधित पत्रावली।
- (9) कार्यालय आदेश पत्रावली।

आवश्यक कार्यवाही हेतु
श्री साचिन
24/11/25

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

भारत के संविधान की प्रस्तावना

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।"